प्रेस विज्ञप्ति

29.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने प्रदीप शर्मा (आईएएस-सेवानिवृत्त), संजय शाह और अन्य के खिलाफ एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 5.92 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में भुज, कच्छ, गुजरात में स्थित 5.92 करोड़ रुपये के भूखंडों के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने सीआईडी, अपराध शाखा, सीमा क्षेत्र, भुज, गुजरात द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि प्रदीप शर्मा ने गुजरात के भुज के जिला कलेक्टर के रूप में अपने पद का लाभ उठाते हुए, अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर, धोखाधड़ी और मूल्यवान सरकारी भूमि के अवैध आवंटन में शामिल थे। उन्होंने विभिन्न सरकारी प्रस्तावों की अवहेलना की और संजय शाह नामक व्यक्ति को अवैध रूप से भूमि आवंटित की, जिससे गुजरात सरकार को अनुचित नुकसान हुआ।

संजय शाह ने बाद में उक्त भूमि को आवासीय भूखंडों में विकसित किया और अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की। तदनुसार, ईडी ने एक जांच की, जिसने संजय शाह द्वारा उत्पन्न पीओसी का पता लगाया, और इसे 25.04.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।